अध्याय–VI

देवस्थान विभाग

6.1 परिचय

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग को राज्य नियंत्रणाधीन मंदिरों, धार्मिक संस्थाओं और दान-संपत्तियों के प्रबंधन, प्रशासन और संरक्षण का काम सौंपा गया है। इसके प्रमुख कार्यों में राज्य प्रबंधित मंदिरों के संचालन की निगरानी, मंदिर सम्पत्तियों और राजस्व का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना, मंदिर संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देना शामिल है। विभाग द्वारा तीर्थयात्रियों के कल्याण की व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों का संचालन तथा मंदिरों के विकास एवं जीर्णोद्धार से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य भी किया जाता है।

यह विभाग प्रशासनिक रूप से राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा इसका नेतृत्व आयुक्त, देवस्थान द्वारा किया जाता है। यह विभाग, क्षेत्रीय और जिला स्तर के कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें आयुक्त और सहायक आयुक्त, देवस्थान नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन और मंदिर प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करते हैं। विभाग पंजीकृत सार्वजनिक न्यासों का रिकॉर्ड भी रखता है तथा राजस्थान सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1959 के तहत उनके संचालन की निगरानी करता है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

देवस्थान विभाग में 14 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थी, इनमें से 6 इकाइयों का लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। लेखापरीक्षा में व्यय से संबंधित ₹158.38 करोड़ की अनियमितताएं पाई गईं। इस प्रकार की कुछ गलतियों का उल्लेख पूर्व वर्षों में भी किया गया था, किंतु लेखापरीक्षा की तिथि तक उन पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। ये प्रकरण लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच के आधार पर उदाहरणस्वरूप हैं। मुख्य रूप से पायी गई अनियमितताएं **तालिका 6.1** में दर्शाई गई श्रेणियों के अंतर्गत हैं।

तालिका 6.1: **वर्ष** 2022-23 **के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	श्रेणी	राशि
1.	किराये की अवसूली/कम वसूली	1.34
2.	व्यय संबंधी अनियमितताएं	158.38
योग		**159.72**

स्रोतः विभाग को जारी निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर संकलित।

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग ने ₹159.72 करोड़ की अवसूली/कम वसूली एवं व्यय संबंधी अनियमितताओं को स्वीकार किया।

6.3 सतही किराया एवं शास्ति ब्याज की अवसूली

देवस्थान विभाग ने सतही अधिकार धारकों द्वारा सतही किराया भुगतान दायित्वों के अनुपालन की निगरानी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप लम्बे समय तक भुगतान नहीं किया गया। इसी कारण राशि ₹ 76.27 लाख के सतही किराया एवं उपार्जित शास्ति ब्याज की वसूली का अभाव रहा।

राज्य सरकार (सरकार) द्वारा देवस्थान विभाग की भूमि पर खनन गतिविधियों के लिए खनन नीति (नीति) जारी (अप्रैल 2000) की गई थी। इस नीति में प्रावधान किया गया था कि खान एवं भूविज्ञान विभाग उन्हें खनन पट्टे प्रदान करेगा, जिन्हें देवस्थान विभाग से सतही अधिकार प्राप्त

हुए हों। सतही अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को नीति के खण्ड 2(बी) में निर्धारित दर के अनुसार वार्षिक सतही किराया एवं एकमुश्त राशि जमा करानी होगी। यदि आवेदनकर्ता सतही अधिकार प्राप्त करने के उपरांत वार्षिक सतही किराया एवं एकमुश्त राशि जमा नहीं करवाता है तो देवस्थान विभाग सतही अधिकार खण्डित कर सकता है। ऐसे प्रकरणों में सतही अधिकार धारक को 30 दिवस के नोटिस के उपरांत बेदखल कर दिया जायेगा। नीति के खण्ड 4 में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि सतही अधिकार विवेकपूर्ण तरीके से सौंपा गया था, लेकिन बाद में उसे अधिकार धारक द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है, तो ऐसे मामलों में, नीति के खण्ड 2(बी) में परिकल्पित एकमुश्त राशि जमा करने के बाद नए खनन पट्टाधारक को सतही अधिकार सौंपा जा सकता है तथा नए पट्टाधारक द्वारा वार्षिक किराया भी जमा कराया जाएगा।

देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त, उदयपुर संभाग की अवधि अप्रैल 2015 से मार्च 2023 की लेखापरीक्षा (मई 2023), के दौरान पाया गया कि सहायक आयुक्त, (उदयपुर संभाग) द्वारा दो अनुज्ञाधारियों 'क' और 'ख' के पक्ष में गुलाबी संगमरमर के खनन हेतु 10 वर्षों की अवधि के लिए आरजी[1] संख्या 3526 एवं 3580 (प्लॉट नम्बर 1) तथा आरजी संख्या 3604 एवं 3643 (प्लॉट नम्बर 2), जो क्रमशः प्रत्येक चार हेक्टेयर क्षेत्रफल के है, के लिए सतही अधिकारों के उपयोग की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी (14 दिसम्बर 2011) किये । प्रत्येक प्लॉट के लिए वार्षिक सतही किराया ₹ 2.21 लाख के साथ ₹ 4 लाख की एकमुश्त गैर-वापसी योग्य राशि निर्धारित थी। आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर (अनुज्ञादाता) और सफल अनुज्ञाधारियों के बीच क्रमशः 13 दिसंबर 2011 और 14 दिसंबर 2011 को निम्नलिखित नियमों और शर्तों सहित समझौते निष्पादित किए गएः

(i) अनुज्ञाधारी, अनुज्ञादाता की लिखित पूर्व सहमति के बिना उक्त दस्तावेज द्वारा दिए गए अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपेगा।

(ii) अनुज्ञाधारी को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक अग्रिम रूप से सतही किराए का भुगतान करना होगा, जिसके विलम्ब पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा। लाइसेंस शुल्क का समय पर भुगतान न करने पर राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूली की कार्रवाई की जा सकती है, साथ ही 30 दिन का नोटिस देने के बाद अनुज्ञाधारी को बेदखल भी किया जा सकता है।

खनन पट्टा संख्या 46/2011 एवं पट्टा संख्या 45/2011 उपरोक्त अनुज्ञाधारियों के पक्ष में खनि अभियंता (उदयपुर संभाग), खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर 2011 से 30 वर्ष के लिए स्वीकृत किये गये थे यद्यपि देवस्थान विभाग द्वारा सतही अधिकार केवल 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किये गए थे।

दोनों अनुज्ञाधारियों द्वारा वर्ष 2013-14 से वार्षिक सतही किराया राशि का भुगतान नहीं किया गया । जून, 2019 में, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा इन खनन पट्टों की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाने हेतु खान एवं भूविज्ञान विभाग से अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युतर में खान एवं भूविज्ञान विभाग ने अवगत (जुलाई 2019) कराया कि खनन पट्टा संख्या 46/2011 एवं पट्टा संख्या 45/2011 को अतिरिक्त निदेशक (खनि.) द्वारा दो अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके बाद, देवस्थान विभाग द्वारा अनुज्ञाधारियों को बकाया सतही किराया जमा कराने हेतु नोटिस जारी (02 सितम्बर 2020) किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में अनुज्ञाधारियों ने अवगत कराया कि उनको आवंटित किये गए खनन पट्टे दिनांक 16 जुलाई 2014 एवं 26 फरवरी 2014 को ही हस्तांतरित कर दिए गए थे और इस प्रकार इन खनन पट्टों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के भुगतान की कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है।

[1] आरजी- एक भूमि के हिस्से एवं प्लाट के लिए आवंटित यूनिक संख्या।

सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के अभिलेखों की सवींक्षा (मई 2023) में पाया गया कि विभाग ने लाइसेंसधारियों द्वारा नियमित रूप से सतही किराये भुगतान की निगरानी नहीं की, जिसके कारण कई वर्षों तक भुगतान न करना बिना उचित कार्यवाही के अनुमत रहा जैसे की 30 दिन के नोटिस के उपरांत लाइसेंसधारी को बेदखल करना तथा राजस्थान सार्वजनिक मांग एवं वसूली एक्ट के तहत वसूली किया जाना। इसके परिणामस्वरूप, खनन पट्टों पर सतही किराये एवं शास्ति ब्याज की अवसूली राशि वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक बढ़कर ₹ 76.27 लाख (सतही किराया ₹ 37.64 लाख एवं ब्याज ₹ 38.63 लाख) हो गई, विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-12*** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने बिना पूर्व अनुमति के अन्य पार्टी को खनन पट्टा हस्तांतरित करने और सतही अधिकार दस वर्ष के लिए दिए जाने पर भी खनन पट्टा 30 वर्ष के लिए दिए जाने के प्रकरण, खान एवं भूविज्ञान विभाग के समक्ष नहीं उठाये।

इस प्रकार, विभाग द्वारा सतही किराए के भुगतान की निगरानी में कमी के कारण राजकोष को राशि ₹ 76.27 के राजस्व की वित्तीय हानि हो गयी, जो अनधिकृत पट्टे हस्तांतरण और सतही अधिकारों के साथ खनन पट्टे की अवधि का ध्यान नहीं रखने के कारण बढ़ गई थी।

यह प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2023)। सरकार द्वारा अवगत कराया (सितम्बर 2024) गया कि सम्बंधित लाइसेंसधारियों को नोटिस जारी कर दिए गए तथा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (फरवरी 2025)।

(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

जयपुर
दिनांक : 26 नवम्बर 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 03 दिसम्बर 2025